अवध विहार योजना

- मंदाकिनी एन्क्लेव
- भगीरथी एन्क्लेव

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ट उपनगरी अवध विहार योजना में सामान्य पंजीकरण बहुमंजिली आवासीय परियोजना–2018 (प्रथम चरण) के अन्तर्गत फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

परिषद का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी क्रय सार्मथ्यनुसार उच्च गुणवत्ता वाले फ्लैट्स उपलब्ध कराना है। इस आवासीय परियोजना की मुख्य विशेषता सुल्तानपुर रोड पर अमर शहीद पथ के दोनों ओर लगभग **1524** एकड़ भूमि इसकी लोकेशन स्थल है।

इन परियोजनाओं में दो बेडरूम, तीन बेडरूम फ्लैट्स निर्माणित हैं।

उनके लिए जो चाहते हैं,
बेहतर जीवन शैली.....

KEY PLAN

एयरपोर्ट
10 कि.मी.
AIRPORT
TO RAEBARELI
10 KM
पी.जी.आई.
4 कि.मी.
VRINDAVAN YOJNA
चारबाग रेलवे स्टेशन
8 कि.मी.
TO SULTANPUR
शहीद पथ
0 कि.मी.
UTRATIYA RAILWAY STATION
TO KANPUR
POCKET-1
ANSAL'S PROPERTY
LUCKNOW - SULTANPUR RAILWAY LINE
3
2A
2B
POCKET-2
हज़रतगंज
9 कि.मी.
गोमती नगर
3 कि.मी.
AMAR SHAHEED PATH
LUCKNOW - RAEBARELI RAILWAY LINE
TO SULTANPUR
Proposed Site
POCKET-3
LUCKNOW - RAEBARELI RAILWAY LINE
TO LUCKNOW
TO LUCKNOW

MANDAKINI ENCLAVE

बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018
सेक्टर-2ए-मंदाकिनी एन्क्लेव

फ्लैट्स का विवरण एवं विक्रय मूल्य (सेक्टर 2ए)

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैटस संख्या	कारपेट एरिया लगभग (वर्ग मीटर)	फ्लैट का विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत (लाख में)	प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 30 प्रतिशत धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 144 किश्तों में वसूल की जायेगी, प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि	प्राविधान
1.	2 BHK S+14	85	100.28	66.00	3.30	19.80	55100.00	लिविंग डायनिंग रूम 2 बैड रूम, किचन, लाबी 3 बालकनी, 2 टायलेट 1 स्टोर रूम।

नोट :

1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

मंदाकिनी एन्क्लेव

2BHK UNIT PLAN
2 BHK, 2 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1079 SQ FT
SUPER AREA = 1259 SQ FT

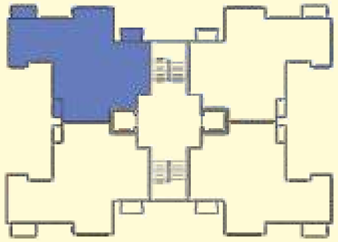

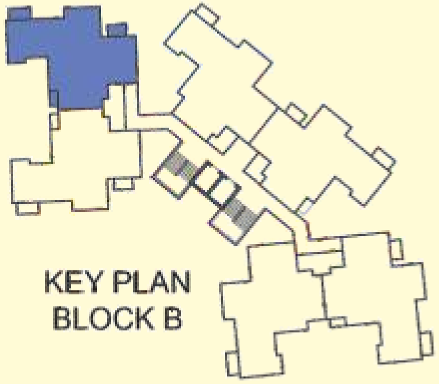

मंदाकिनी एन्क्लेव

2 BHK CLUSTER PLAN
2 BHK, 2 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 100.21 SQM
SUPER AREA = 117.00 SQM

मंदाकिनी एन्क्लेव

2 BHK CLUSTER PLAN
2 BHK, 2 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1079 Sq. ft.
SUPER AREA = 1259 sq. ft.

मंदाकिनी एन्क्लेव

2BHK UNIT PLAN
2 BHK, 2 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1079 sq.ft.
SUPER AREA = 1259 sq ft.

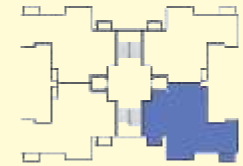
KEY PLAN
BLOCK A

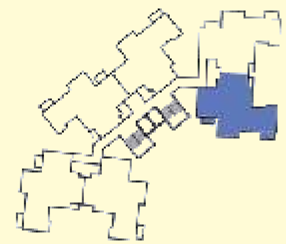
KEY PLAN
BLOCK B

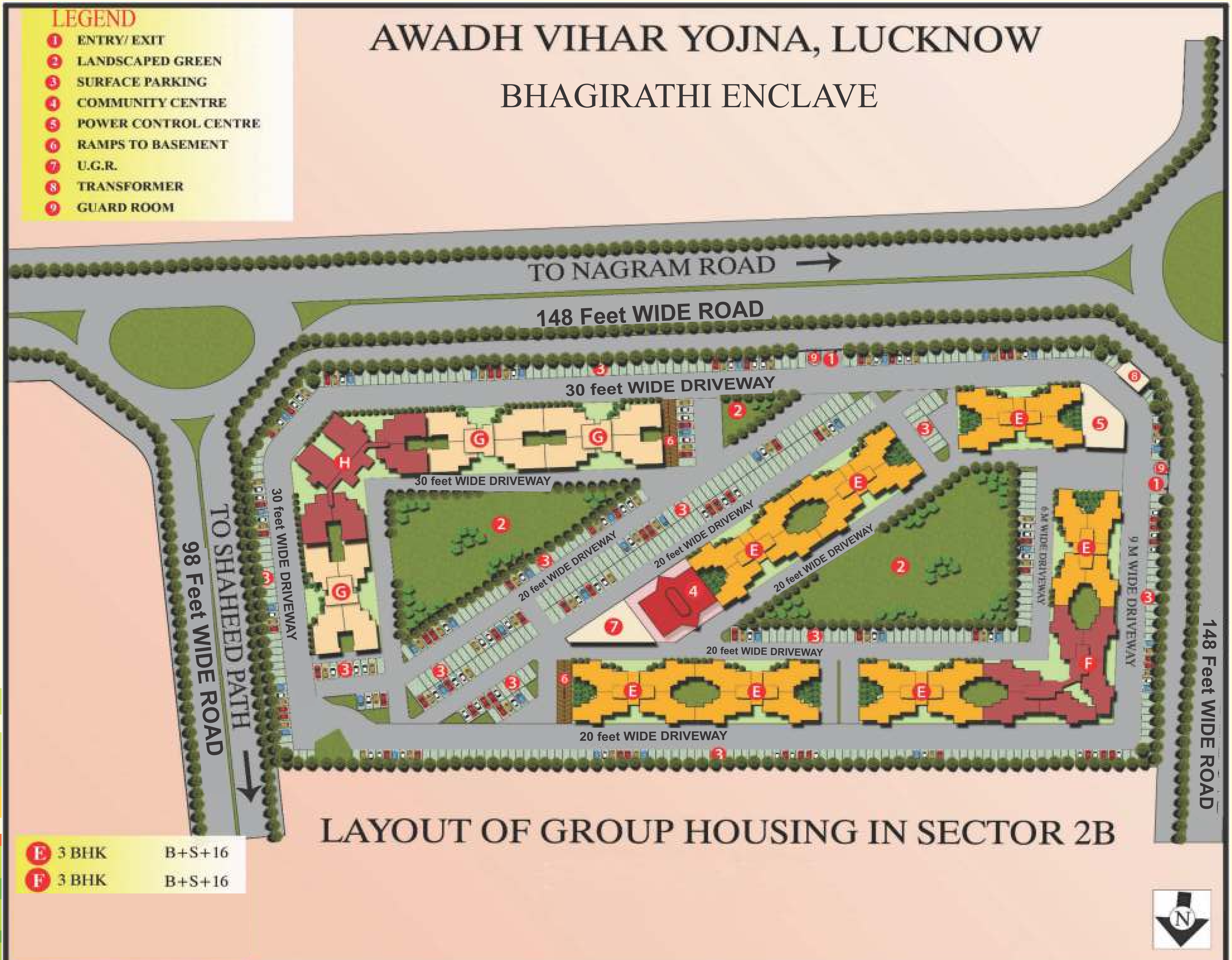
AWADH VIHAR YOJNA, LUCKNOW
BHAGIRATHI ENCLAVE
LEGEND
1 ENTRY/ EXIT
2 LANDSCAPED GREEN
3 SURFACE PARKING
4 COMMUNITY CENTRE
5 POWER CONTROL CENTRE
6 RAMPS TO BASEMENT
7 U.G.R.
8 TRANSFORMER
9 GUARD ROOM
TO NAGRAM ROAD
148 Feet WIDE ROAD
30 feet WIDE DRIVEWAY
30 feet WIDE DRIVEWAY
30 feet WIDE DRIVEWAY
20 feet WIDE DRIVEWAY
20 feet WIDE DRIVEWAY
20 feet WIDE DRIVEWAY
20 feet WIDE DRIVEWAY
20 feet WIDE DRIVEWAY
6 M WIDE DRIVEWAY
9 M WIDE DRIVEWAY
TO SHAHEED PATH
98 Feet WIDE ROAD
148 Feet WIDE ROAD
LAYOUT OF GROUP HOUSING IN SECTOR 2B
E 3 BHK B+S+16
F 3 BHK B+S+16
N

बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2018
सेक्टर-2बी-भागीरथी एन्क्लेव

फ्लैट्स का विवरण एवं विक्रय मूल्य (सेक्टर 2बी)

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	फ्लैटस संख्या	कारपेट एरिया लगभग (वर्ग मीटर)	फ्लैट का विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 5 प्रतिशत (लाख में)	प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 30 दिन के अन्दर देय 40 प्रतिशत धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 किश्तों में वसूल की जायेगी, प्रत्येक किश्त की अनु. धनराशि	प्राविधान
1.	3 BHK S+14	37	123.23	76.00	3.80	30.40	58800.00	लिविंग रूम, डायनिंग रूम, 3बैड रूम, किचन, लाबी, 3 बालकनी, 1 स्टोर, 3 टायलेट।

नोट :

1. आवंटन पत्र निर्गत के 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

2. देय धनराशि समायान्तर्गत जमा न होने की दशा में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

3 BHK UNIT PLAN
3 BHK, 3 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1326 SQ.FT.
SUPER AREA = 1510 SQFT

भागीरथी एन्क्लेव

3 BHK UNIT PLAN
3 BHK, 3 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1326 SQFT
SUPER AREA = 1510 SQFT

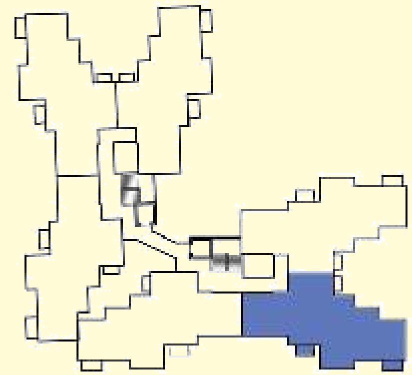

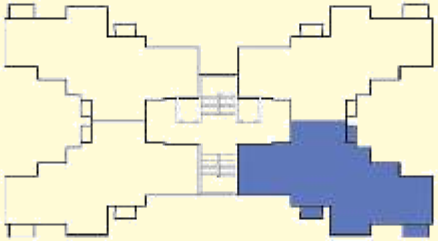

3 BHK CLUSTER PLAN
3 BHK, 3 TOILETS, 3 BALCONIES, STORE
BUILTUP COVERED AREA = 1326 SQFT
SUPER AREA = 1510 SQFT

1. फ्लैट्स की विशिष्टियां

स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी निर्माण

फर्श : लिविंग–डायनिंग, बेडरूम, स्टडी में विट्रीफाइड टाइल, कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन।

किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट/प्लेटफार्म के ऊपर दो फिट ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल, स्टेनलेस स्टील का सिंक।

ट्वायलेट : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इंडियन एवं अन्य में यूरोपियन सीट, सिसटर्न व एक–एक वॉश बेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।

दरवाजे : मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर व अन्य दरवाजे आई.एस.आई. मार्क फ्लश डोर शटर्स, चौखट मलेशियन साल वुड/एंगिल आयरन/स्लाइडिंग डोर।

खिड़कियां : कम्पोजिट यू.पी.वी.सी. विन्डो फ्रेम।

रंग–रोगन : भीतरी दीवारों व छत पर आयल बाउण्ड पेंट तथा बाहरी सतह पर वाटरप्रूफ वेदर कोट फिनिंशिग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट/पालिश।

जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैंक।

विद्युत : अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सील्ड वायरिंग एवं पावर व ए.सी. प्वाइन्ट का प्राविधा, जनरेटर द्वारा सीमित पावर–बैकअप का प्राविधान 2 BHK एवं 2 BHK + Study हेतु 400 वाट, 3 BHK हेतु 500 वाट एवं 3 BHK + Servent हेतु 600 वाट के आटोकट सिस्टम के प्राविधान के साथ।

लिफ्ट : सुविधा हेतु एक अतिरिक्त लिफ्ट के साथ प्रत्येक टावर में कुल 2 नग पैसेन्जर–लिफ्ट का प्राविधान।

स्टेयर केस : कोटा स्टोन, आयरन पाइप रेलिंग।

डोर फिटिंग्स: आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स

2. अन्य शर्तें

2.1 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित हैं। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट–बढ़ सकती है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।

2.2 प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय तल पर आवंटित फ्लैट्स के आवेदकों को लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।

2.3 उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक फ्लैट में आवेदकों को अलग–अलग एक कार पार्किंग के लिए स्पेस बेसमेन्ट/स्टिल्ट में आरक्षित कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए एक कार पार्किंग हेतु रु. 200000.00 एवं अतिरिक्त ओपन कार पार्किंग के लिए रु. 75000.00 अतिरिक्त देय होगा। कार पार्किंग का आवंटन लाटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा।

2.4 प्रत्येक आवंटी को एन्क्लेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्क्लेव की भूमि में फ्री–होल्ड चार्ज तत्समय ग्रुप–हाउसिंग में प्रचलित दर पर अतिरिक्त देय होगा।

2.5 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से 02 वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कॉर्पस फण्ड" में फ्लैट के स्वीकृत विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसायटी का हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख–रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रतिमाह आवंटी को देय होगा।

2.6 परिसर का रख–रखाव अलग से प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त उक्त फ्लैट्स की "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

2.7 सुपर एरिया पर रु. 1.10 प्रति वर्गफिट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्यूनिटी सेन्टर, विद्युत बिल, सफाई आदि के रख–रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को प्रतिमाह अतिरिक्त देय होगा जो समय–समय पर रख–रखाव एजेन्सी यथा परिषद/रेजीडेन्ट सोसायटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

2.8 पावर बैक–अप का सीमित प्राविधान किया गया है।

2.9 परिसर हेतु बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में मल्टी परपज हाल/कम्यूनिटी सेन्टर तथा एक स्वीमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।

2.10 राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा आरोपित जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय होगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 सामान्य पंजीकरण फ्लैट हेतु आय सीमा एवं सम्पत्ति सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी केलिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य आवेदक के नाम जोडने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। ऐसा निरस्त पंजीकरण बाद में पुर्नजीवित नहीं किया जा सकेगा।

4.5 यदि कोई आवेदक लाटरी ड्रा हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त जमा धनराशि से शासन के आदेशानुसार जी.एस.टी. की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु चालान की रसीद आवेदन पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

4.6 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन होने पर प्रदेशन पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम एकमुश्त धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 144/120 मासिक किश्तो में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमा पर्ची के माध्यम से नगद/पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो UPHDB-2018 LUCKNOW पर देय हों जमा करनी होगी अथवा सम्बन्धित कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध में पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जा सकेगी।

5.2 आवेदक को प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 2 माह के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

5.3 यदि प्रदेशन पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तो की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

5.5 यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमो के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

5.6 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

5.7 लाटरी ड्रा के उपरान्त प्रदेशन पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में नगद/पे–आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में UPHDB-2018 LUCKNOW के नाम पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर लखनऊ में देय हो, मांग–पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम फ्लैट की श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

6. आवंटन नियम :

6.1 परिषद/शासनादेशो के अनुसार लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।

6.6 सामान्यतः आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.7 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथासम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	——————तदैव——————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	——————तदैव——————
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंन्शन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन–पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोटः– उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण–पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :–

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू–विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 आवंटन के पश्चात् असफल आवेदको को यथा सम्भव एक माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा

9.1 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं पंजीयन (निबन्धन) के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओ हेतु उपलब्ध रहेगा।

11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराध्किारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

11.4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषदादेशों के प्राविधान प्रभावी होगें।

11.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

11.6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

11.7 **आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें। भविष्य में परिषद द्वारा समय–समय पर यदि कोई नियम/शर्तें लागू होगी तो वह आवेदक को मान्य होगी।**

अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ) लखनऊ में सेक्टर 2 ए मंदाकिनी, 2 बी भागीरथी एन्क्लेव में बहुमंजिली योजना हेतु पंजीकरण पुस्तिका (आवेदन पत्र) निम्न बैंक शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा/पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	आंध्रा बैंक	6ए, विधान सभा मार्ग बापू भवन के सामने, लखनऊ	श्री गोपाल	8558800906
2.	एक्सिस बैंक	प्रगति बाजार, प्रथम तल, कपूरथला लखनऊ	श्री राहुल निगम	9455446691
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	शाहनजफ रोड, हजरतगंज, स्पीड मोटर्स बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	9450025865

आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंकों एवं प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

दूरभाष : 0522–2239611

में रु. 1000/– नकद/बैंक ड्राफ्ट एवं पेआर्डर से जो UPHDB-2018 Lucknow के नाम देय हो।

डाक द्वारा आवेदन पत्र मगाने हेतु डाकखर्च रु. 50.00 अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें
2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 6 का) हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाय।
3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाएं भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन–पत्र के ब्लाक (BLOCK) को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सके हैं।
4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।
8 आवेदन पत्र में बिन्दु–8 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' तथा पति–पत्नी हेतु 'HW' भरें।
9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से किसी एक को भरना होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित 'आरक्षण' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में आवेदक पर विचार अनारक्षित श्रेणी में किया जायेगा।
11 बैंक ड्राफ्ट / पे–आर्डर को लेखा शीर्षक UPHDB-2018 LUCKNOW जो लखनऊ में देय होगा।
12 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखो की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु–15 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना–पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
13 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन–पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चैक, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा।
14 आवेदन–पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
15 अपूर्ण आवेदन–पत्र / आवेदन–पत्रो में कटिंग किये हुए आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
16 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
17 आवेदन–पत्र जमा करते समय आवेदन–पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
18 आवेदन–पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान–पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
19 तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स की संख्या घट बढ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

श्रीमती नीलम उप आवास आयुक्त, लखनऊ जोन, मो. : 8795810016	**इं. यू.सी. सिंह** अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–7 मो. : 8795810064
डॉ. आर.के. सिंह सम्पत्ति प्रबंधक मो. : 8795810666	**के.सी. श्रीवास्तव** अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–21 मो. : 8795810178
श्रीमती बीना सिंह स्वागत अधिकारी (प्रचार अनुभाग) **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ मो. : 8795811055	**कु. प्रीति सागर** स्वागत अधिकारी (प्रचार अनुभाग) **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ मो. : 8795811056

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	**कोड संख्या**
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक	O
विदेशी मुद्रा	M